उत्तर प्रदेश शासन,
नियोजन अनुभाग–1
संख्या : 521/ 35–1–12, दिनांक : 30 अप्रैल, 2012

कार्यालय–ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है, कि प्रदेश में बायो इनर्जी सेक्टर के सर्वागीण एवं समन्वित विकास हेतु एतद्द्वारा प्रदेश के प्रत्येक जनपद में जनपद स्तरीय जैव ऊर्जा समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है :–

1.	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
3.	प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
4.	जिला पंचायत राज अधिकारी	सदस्य
5.	जिला उद्यान अधिकारी	सदस्य
6.	जिला कृषि अधिकारी	सदस्य
7.	परियोजना अधिकारी, यू0पी0 नेडा	सदस्य
8.	परियोजना अधिकारी, बी0आर0इ0एल0	सदस्य
9.	परियोजना अधिकारी आई0ओ0सी0–रूचि बायोफ्यूल एल0एल0पी0	सदस्य
10.	बा0इ0मि0से0 द्वारा प्रशिक्षित युवा/सम्बन्धित जनपद का परियोजना से जुड़ा अग्रणी किसान (समिति के अध्यक्ष द्वारा नामित)	सदस्य
11.	परियोजना निदेशक, डी0आर0डी0ए0	सदस्य सचिव

ज्ञातव्य है कि उक्त समिति द्वारा निम्नलिखित कार्यो एवं दायित्वों का निर्वहन किया जायेगाः–

(क) जनपद में बायो इनर्जी सेक्टर का सर्वागीण एवं समन्वित विकास।

(ख) बायो इनर्जी सेक्टर में आवश्यक लिंकेजेज सुनिश्चित करना।

(ग) बायो इनर्जी सेक्टर में संचालित विभिन्न योजनाओं जैसे : बायो गैस प्लान्ट्स की स्थापना, सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के ठोस एवं द्रव अपशिष्ट प्रबन्धन मद के अन्तर्गत कृषि अपशिष्ट आधारित बायो गैस उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत कम्यूनिटी/व्यक्तिगत इकाइयों की स्थापना, मनरेगा पोषित जीवन ज्योति परियोजना तथा जीवन शक्ति परियोजना इत्यादि का समयबद्व संचालन अनुश्रवण एवं मूल्यांकन।

(घ) जनपद के ऊसर परती, बंजर तथा कृषि हेतु पूर्णतया अनुपयुक्त भूमि पर जेट्रोफा/करंज रोपण का कार्य नियोजन अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या 578/35–1–2008, दिनांक 25 मार्च, 2008 में विहित व्यवस्थानुसार प्राथमिकता के आधार पर संचालित करना।

(च) नियोजन अनुभाग–1 के शासनादेश सं0 244/35–1–12 दिनांक 28 फरवरी 2012 द्वारा गठित राज्य स्तरीय स्टीयरिंग समिति (बायो इनर्जी सेक्टर) द्वारा समय–समय पर लिये गये निर्णयों तथा सम्बन्धित दिशा निर्देशों का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित करना।

(छ) जैव ऊर्जा के अन्य आयामों को विकसित करने हेतु आवश्यक कदम उठाना।

प्रश्नगत समिति की बैठकें मासिक होगी किन्तु विशेष परिस्थितियों में बैठकें कभी भी बुलायी जा सकेंगी। सम्बन्धित मासिक प्रगति रिपोर्ट आगामी माह की दस तारीख तक राज्य समन्वयक एवं सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय स्टीयरिंग समिति (बायो इनर्जी सेक्टर), कक्ष सं0 534, पॉचवा तल, योजना भवन लखनऊ : 226001 अथवा e-mail : ps_ojha@yahoo.com पर उचित प्रारूप में प्रस्तुत करनी होगी। सम्बन्धित प्रारूप web site: http://jetropha.up.nic.in से प्राप्त की जा सकती है।

आलोक रंजन
कृषि उत्पादन आयुक्त

संख्या : 521(1)/35–1–2012, तद्दिनांक

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री।
2. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
5. समस्त जिलाधिकारी उ0प्र0।
6. स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त।
7. निजी सचिव, प्रमुख सचिव नियोजन के उपयोगार्थ।
8. निजी सचिव, सचिव नियोजन विभाग के उपयोगार्थ।
9. समस्त प्रभागाध्यक्ष, (नवीन प्रभाग), नियोजन विभाग।
10. समिति के सभी सदस्य।
11. राज्य समन्वयक, बायो इनर्जी मिशन सेल।
12. राज्य योजना आयोग, अनुभाग–1 एवं 2।
13. गार्ड फाइल।

(आर0 पी0 सिंह)
प्रमुख सचिव